

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महा  
 अवकाश में होने / अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने / बार  
 एसोसिएशन की प्रार्थना से पत्रावली वास्तु ~~व्यस्त~~  
 दिनांक 15.2.2016 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महा  
 अवकाश में होने / अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने / बार  
 एसोसिएशन की प्रार्थना से पत्रावली वास्तु ~~व्यस्त~~  
 दिनांक 30.5.2016 को पेश हो।

21/5  
2016

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय  
 आपके द्वार 2016 के लक्ष्य मुं  
 वांगनी प्रस्तुत हुई। जार्ज  
 माधुलाल व विपक्षी बड़ीलाल  
 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन  
 किया। विपक्षी बड़ीलाल द्वारा  
 डा० एच अंकित द्वारा 212  
 R.T.A का प्रत्युक्त प्रस्तुत किया  
 जिसमें जार्जिन के डा० एच एच  
 पोवणीय नही होने से काबिल  
 स्थापित होने योग्य अंकित  
 किया गया है।

माधुलाल  
 वांगनी

डा० एच एच के सम्बन्ध में  
 उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।  
 जार्ज माधुलाल ने डा० एच एच में  
 अंकित तथ्यों को दोहराया तथा  
 विपक्षी बड़ीलाल ने डा० एच एच में  
 अंकित तथ्यों को सम्बन्ध में  
 खोज किया।

साहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 मंगलपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

श्री परावली का अधोपान्त इबलोकन  
 विद्या तथा उपलब्ध रात्रिज की  
 गहनता से ज्ञान की। ग्राम  
 गाड़ी खेड की जातकी नं 1172  
 है 1181 व 1183 शुभल विद्या  
 11 स्वभाव 4.97 है। श्री  
 प्राग्जिण एवं विपही श्री के  
 नाम संयुक्त रूप से लोतवारी  
 एवं से श्रीगणित है।

चूंकि प्राग्जिण द्वारा प्रकृत  
 प्राग्जिण द्वारा 212 R.T.A में  
 यह रितीय चाही गई है कि  
 प्राग्जिण के पास में विपही  
 विपही लार्जतला मूल वाद इस  
 आप्त की अध्यायी निवेद्याशा  
 जारी करने बाधत निवेदन  
 विद्या कि विपही उक्त बगिरी  
 आराजिगत बिनी अध्यायी गणित  
 को रद्द बच बड़ीस या  
 अन्य बिनी तरीके से हस्तारहित  
 करे तथा राजस्व रेकार्ड व  
 शैके की यथा स्थिति बनाये  
 रहे। प्राग्जिण द्वारा चाही गई

— उपरोक्त रितीय के सम्बन्ध  
 में आचार्य को उद्यम इच्छिया  
 प्राप्त, सुविधा महतान व  
 उच्चरीय इति के बिन्दुओं  
 पर विनिश्चय किया जाना है।  
 चूंकि प्राग्जिण एवं विपही द्वारा  
 गाड़ी खेड की उपरोक्त बगिरी  
 जातकी यात के संयुक्त लोतवारी  
 है तथा बगिरी आराजिगत यात  
 विभाजन नहीं हुआ है विपही

2/11/20

वर्गित आरक्षित को बेचने पर  
आमद है इसी मुद्दा में प्राथमिक  
का उद्यम इच्छित मामला प्रभावित  
होकर सुविधा समुदाय व इच्छित  
इस में प्राथमिक को पक्ष में  
प्रभावित होने से प्राथमिक का  
पक्ष पर स्वीकार योग्य रहता  
है इसलिये

आदेश

अपने जारी लेख के आशय में  
1172 से 1181 व 1182 कुल मिला  
11 रकबा 4.97 ई. भूमि में  
आस्था निवेदाणा मूल काद को  
लापेंसला सब इस आशय की  
प्राथमिक को पक्ष में विच्छ  
विच्छ जाती की जाती है कि  
विच्छ उपरोक्त वर्गित आरक्षित  
मिला 11 रकबा 4.97 ई. भूमि को  
किन्ही अन्य व्यक्ति को रहने  
का बर्हीस या किन्ही अन्य  
तरीके से हस्तगत किन्ही  
कोटे। रेवाडि व गैरे के की  
पक्ष स्थिति बनाने शक्य।  
प्राथमिक को आमद रजिस्टर  
कीसल मुद्दा होकर मूल काद  
के साथ जुड़े है।

सहायक कलक्टर  
(सपखण्ड अधिकारी)  
रागापुर जिला भीलवाडा (राज.)